राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3112/2025

मनीष कुमार मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.06.2025
आदेश की दिनांक : 30.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धीरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर तहसील सरवाड़ जिला अजमेर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में स्वास्थ्य संबंधी पेरशानी जैसे मधुमेह टाइप–ा, हाइपरथायराइड, सेलिक रोग व पैनक्रिया की गंभीर बीमारी से ग्रसित है। जिस कारण अपीलार्थी को स्वास्थ्य संबंध परेशानी के कारण राजकीय कार्य करने में बाधाएं आ रही है। अपीलार्थी अपनी गंभीर बीमारियों का निरन्तर ईलाज एम्स, जोधपुर से चल रहा है (अनुलग्नक–3)। परन्तु अभी तक कोई विशेष सुधार स्वास्थ्य में नहीं दिख रहा है। अपीलार्थी अपना ईलाज एम्स दिल्ली से निरन्तर करवाना चाहता है। किंतु तहसील सरवाड़ अजमेर से एम्स, दिल्ली की दूरी अधिक होने के कारण अपीलार्थी को परेशानी आ रही है तथा लम्बी दूरी की यात्रा करने के कारण शरीर में सूजन एवं मूर्छित होने की स्थिति बन जाती है। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यदि प्रार्थी राजकीय सेवा में है व गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसका पदस्थापन रिक्त स्थान पर उसके गृह जिले या आसपास के जिले में किया जाना चाहिए। अपीलार्थी ने दिनांक 17.04.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा राज्य सरकार की गाइडलाइन के आधार पर अपना पदस्थापन गृह जिले में निम्न स्थानों पर पद

रिक्त है जो है :– तहसील अलवर, अलवर–ा, तहसील मालाखेड़ा (पुनखर), तहसील राजगढ़, अलवर में किये जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया। यदि अपीलार्थी का पदस्थापन इन स्थानों में से किसी एक पर कर दिया जाता है तो अपीलार्थी अपने राजकीय कार्य संपादन के साथ–साथ अपनी स्वास्थ्य संबंधी पेरशानियों की देखभाल दोनों ही सुचारू रूप से कर पाएगा। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन उसके द्वारा ऊपर बताए गए किसी भी स्थान पर किया जाकर समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य पदोन्नति आदेश दिनांक 18.10.2022 (अनुलग्नक–6) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है। अनुलग्नक–6 के द्वारा अपीलार्थी को चयनित वेतन श्रृंखला में वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं हुई है।